



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 432/2007

याचिकाकर्तागण: विनोद कुमार सोनी एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश की उद्धोषणा हेतु प्रकरण दिनांक 28.07.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 432/2007

**याचिकाकर्तागण:**

1. विनोद कुमार सोनी, पिता स्व. श्री गणेश प्रसाद सोनी, आयु लगभग 31 वर्ष,  
निवासी नमनाकला, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
2. दिनेश कुमार यादव, पिता भगती राम यादव, आयु लगभग 29 वर्ष, ग्राम व  
पोस्ट रायकेरा, तहसील बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)।
3. कृष्ण कुमार राजवाड़े, पिता बी.पी. राजवाड़े, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी  
नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
4. सलीम मलिक, पिता श्री एम.एम. अहमद, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी  
कुंदुडिहारी महुआपाड़ा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
5. दिनेश कुमार चिंडा, पिता श्री चरण सिंह चिंडे, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी  
धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)।
6. संतोष कुमार तिवारी, पिता सुदेश तिवारी, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी गांधी  
नगर, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
7. दिलीप मूक (नायक), पिता श्री मुगनराम नायक, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी  
बस स्टैंड, मुख्य डाकघर के पास, अम्बिकापुर (छ.ग.)।





8. ब्रिजेश कुमार सिंह, पिता श्री सुरेश सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी कटकोना, बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)।
9. सुनील कुमार कंवर, पिता पुरुषोत्तम सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, द्वारा - जीवनराव राघव बांसपारा, जिला धमतरी (छ.ग.)।

### विरुद्ध

#### उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. महानिदेशक, मुख्यालय जेल, रायपुर (छ.ग.)।
3. जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।
4. कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

#### उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर।

राज्य के लिए श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता एवं श्रीमती स्मिता घई, पैनल अधिवक्ता।

-- आदेश --

(दिनांक 28.07.2008 को पारित)



जेल प्रहरी (गार्ड) के पद पर याचिकाकर्तागण की नियुक्ति न होने से व्यथित होकर, याचिकाकर्तागण ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उत्तरवादी-प्राधिकारियों को चयन सूची के अनुसार याचिकाकर्तागण को जेल प्रहरी (गार्ड) के रूप में नियुक्ति आदेश जारी करने और जिला सरगुजा में जेल प्रहरी (गार्ड) के प्रयोजन हेतु पुनः नई परीक्षा आयोजित न करने के लिए रिट/निर्देश की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि विज्ञापन दिनांक 05.12.2005 (संलग्नक पी/1) के अनुसरण में, याचिकाकर्तागण ने कई अन्य लोगों के साथ जिला बिलासपुर में जेल प्रहरी (गार्ड) के पद पर चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्तागण को दिनांक 29/30-31 मई 2006 को आयोजित शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया था। लगभग 5500 से अधिक व्यक्ति उपस्थित हुए। दिनांक 14.06.2006 (संलग्नक पी/3) को समाचार पत्र में 34 व्यक्तियों की एक चयन सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए आठ सीटें, अनुसूचित जाति के लिए दो, अनुसूचित जनजाति के लिए उन्नीस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पांच सीटें आरक्षित थीं। सूची के प्रकाशन के बाद नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। अतएव, यह याचिका दायर की गई है।





3. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्तागण को विधिवत चुना गया है और नियुक्ति आदेश जारी न करना भेदभाव के समान है क्योंकि अन्य जिलों में चयन के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। याचिकाकर्तागण ने कई अभ्यावेदन दिए परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए, उत्तरवादी-प्राधिकारियों को चयन सूची के अनुसरण में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए।
4. इसके विपरीत, उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री वाई.एस. ठाकुर एवं विद्वान पैनल अधिवक्ता सुश्री स्मिता घई ने तर्क दिया है कि शारीरिक परीक्षण परीक्षा में भाई-भतीजावाद और पक्षपात के साथ घोर अनियमितताओं और अवैधताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच करने पर यह पाया गया कि वहां गंभीर सामूहिक अनियमितताएं थीं। तदनुसार, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (जेल), छत्तीसगढ़ ने आदेश दिनांक 22.08.2006 द्वारा जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, अम्बिकापुर द्वारा की गई चयन की अनुशंसाओं को अनुमोदित नहीं किया। अनियमितताओं के लाभार्थियों की पहचान अलग करना कठिन था। वर्ष 2006 में प्रकाशित चयन सूची भी समाप्त हो चुकी है और चयन की नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। याचिकाकर्तागण को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए था, अतएव याचिका खारिज होने योग्य है।





5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, अभिवचनों और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया।
6. चयन प्रक्रिया में सामूहिक अनियमितताओं और अवैधताओं के मुद्दे पर विधि बहुत स्पष्ट है। लुधियाना सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विरुद्ध अमरीक सिंह एवं अन्य<sup>1</sup> के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि "अन्यथा भी, अब तक यह सुस्थापित है कि जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में पाया जाता है, उसे रिक्तियां होने के बावजूद पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है।"
7. भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध काली दास बातिश एवं अन्य<sup>2</sup> के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि "चयन सूची में उम्मीदवार का नाम मात्र सम्मिलित होने से उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और यदि कोई अधिकार नहीं था, तो अस्तित्वहीन अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका को बनाए रखने का कोई अवसर नहीं हो सकता है"।
8. इसके अतिरिक्त, के. जयमोहन विरुद्ध केरल राज्य एवं अन्य<sup>3</sup> के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:

1 (2003) 10 एस.सी.सी. 136

2 (2006) 1 एस.सी.सी. 779

3 ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 2619



"5. यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि केवल इसलिए कि एक उम्मीदवार का चयन किया गया है और उसे प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, उसे नियुक्ति के लिए कोई पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह शासकीय इच्छा पर निर्भर है कि वह नियुक्ति करे या न करे। भले ही कोई रिक्ति हो, उसे भरना शासकीय बाध्यता नहीं है। परंतु नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति न करने का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देना चाहिए। समान रूप से, लोक सेवा आयोग/भर्ती एजेंसी केवल प्रत्याशित रिक्तियों की सीमा तक ही प्रतीक्षा सूची तैयार करेगी। उपरोक्त सुस्थापित विधिक स्थिति के आलोक में, उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है जिसके लिए हस्तक्षेप आवश्यक हो"।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत **भारत संघ एवं अन्य विरुद्ध**

**राजेश पी.यू. पुथुवलनिकाथु एवं अन्य<sup>4</sup>** के प्रकरण में निर्णय और आदेश

वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि उस मामले में यह

पाया गया था कि लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में उम्मीदवारों या परीक्षा

आयोजित करने वालों द्वारा किसी भी गलत व्यवहार की कोई गंभीर

शिकायत नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ एवं अन्य**

**विरुद्ध राजेश पी.यू. पुथुवलनिकाथु एवं अन्य (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में

निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"उपरोक्त के आलोक में और किसी भी ठोस और प्रासंगिक सामग्री द्वारा समर्थित किसी विशिष्ट या स्पष्ट निष्कर्ष के अभाव में कि सर्वव्यापी प्रकृति की व्यापक कमियां थीं, जिन्हें वास्तव में पूरी तरह से या समग्र रूप से प्रक्रिया को ही कमजोर करने वाला कहा जा सकता था और अनियमितताओं या अवैधताओं के लाभार्थियों को अलग करना असंभव था। यदि कोई हो, तो अन्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित



करने का विधि में शायद ही कोई औचित्य था जिनका चयन किसी भी कारण से दोषपूर्ण नहीं पाया गया था। चयन की समग्रता को रद्द करने के लिए एकतरफा कठोर और मनमाना मानक लागू करना, इस पुख्ता और सकारात्मक जानकारी के बावजूद कि 31 चयनित उम्मीदवारों के अलावा अन्य के संदर्भ में कोई कमी नहीं पाई जा सकी, प्रासंगिकता की पूर्ण उपेक्षा और अप्रासंगिक बातों से बहक जाने के अलावा और कुछ नहीं है, संदर्भगत विचारों को पूरी तरह से त्याग देना और स्थितियों से निपटने के लिए जो कड़ाई से और युक्तियुक्त रूप से आवश्यक था उससे आगे बढ़कर आनुपातिकता के सिद्धांत को हवा में उड़ा देना है। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने चयन की संपूर्णता को रद्द करने का ऐसा चरम और अनुचित निर्णय लेने में स्वयं को पूरी तरह से गलत निर्देशित किया, जो कि पूरी तरह से अवांछित और पाए गए तथ्यात्मक स्थिति पर भी अनावश्यक था, और जो दांव पर लगा था उसकी प्रकृति और गंभीरता की तुलना में पूरी तरह से अत्यधिक था, जिससे वस्तुतः ऐसा निर्णय तर्कहीन हो गया।"

10. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि सामूहिक अनियमितताएं या

अवैधताएं की गई हैं, तो अनियमितताओं और अवैधताओं के लाभार्थियों की

पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की अनियमितताएं की गई थीं

और क्या अनियमितताओं और अवैधताओं के लाभार्थियों की पहचान करना

संभव था। पर्याप्त सामग्री के अभाव में, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना

कठिन है। चूंकि नई चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और शारीरिक

परीक्षण आयोजित किया जा चुका है, शासकीय प्राधिकारी नई भर्ती प्रक्रिया

के तहत याचिकाकर्तागण के मामलों पर नई नियुक्ति के लिए विचार कर

सकते हैं। अन्यथा भी, याचिकाकर्तागण के पास नियुक्ति का कोई अजेय



अधिकार नहीं है जब पूरी चयन सूची रद्द कर दी गई है, भले ही वे चयन सूची में थे।

11. उपरोक्त के आलोक में, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-  
सतीश के. अग्निहोत्री  
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।